लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालनालय (चिकित्सा शिक्षा)

6 वी मंजिल सतपुड़ा भवन भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक/227/स्था/राज/भर्ती पदस्थापना/26 भोपाल, दिनांक-02/06/2026

// आंशिक संशोधन //

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अधीन विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों (सतना, सिवनी, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली, श्योपुर, बुधनी, दमोह एवं छतरपुर) में सह प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति, साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु विज्ञापन क्रमांक 221/स्था.राज/भर्ती पदस्थापना/26 भोपाल, दिनांक 01/06/2026 के माध्यम से जारी की गई है।

उक्त विज्ञापन के पृष्ठ 2 में बिन्दु 2 के (अ) अनिवार्य अर्हताओं में टंकन त्रुटि संज्ञान में आने के पश्चात उक्त अर्हताओं को आंशिक संशोधन उपरांत निम्नानुसार पढा जावे –

2 के (अ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2025 "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025" में दी गई तालिका 'क' और 'ख' के अनुसार होंगी

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं
एसोसिएट प्रोफेसर	तालिका क और तालिका ख अनुसार	(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में चार वर्षों तक सहायक प्रोफेसर या सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त सहायक प्रोफेसर के लिए पांच वर्ष तक: या (ii) सशस्त्र बलों का एक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसे संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का नैदानिक अनुभव हो, जिसमें सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में साहयक प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव हो: और (ख))i) सहायक प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए: (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो: और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से करना होगा, बशर्ते कि उनका ब्रॉड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता हो। नोट – 1: विमानन चिकित्सा और समुद्री चिकित्सा की विशेषज्ञता में में, फ्लाइंग स्क्वाड्रन तथा डाइविंग एवं एस्केप ट्रेनिंग स्कूलों में क्रमश: अधिकतम चार वर्षों का अनुभव, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए दो वर्ष के शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। नोट – 2: कोई गैर-शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल में दस वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्पेशिएलिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा/ तथा इस पद पर नियुक्ति के उपरांत, उसे दो वर्षों के भीतर चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम एवं बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

नोट:-

1. ब्रॉड स्पेशियलिटीज और सुपर स्पेशियलिटी की योग्यता में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (डीएनबी) का डिप्लोमेट, जब संबद्ध अस्पताल वाले किसी चिकित्सा संस्थान में अथवा पांच सौ या अधिक बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया हो, तो हर दृष्टि से संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटीज (एमडी/एमएस) और सुपर स्पेशियलिटी (डीएम/एमसीएच) स्नातकोत्तर योग्यता के समकक्ष होगा, परंतु अन्य सभी मामलों में, शिक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसी योग्यता के समकक्ष होने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंसी की आवश्यकता होगी।

:: शेष शर्तें / नियम यथावत रहेंगे।

Digitally signed by
DHANARAJU SANJEEVARAYAPPA
Date: 02-06-2026 14:16:22

(धनराजू एस.)
आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश